न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 129/09 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2009/00195

अनवान्

1. श्री भगवानलाल पिता भेरा माली निवासी डबोक तहसील मावली।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती वगतीबाई पिता भेरा पत्नी लोगर माली निवासी तारावट तहसील वल्लभनगर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
3. श्री उमाकान्त पिता मदन गोपाल शर्मा निवासी बस स्टेण्ड नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री घनश्याम पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री भंवरलाल ओस्तवाल, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
3. श्री हिरालाल सालवी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 05.08.2025

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि राजस्व ग्राम नाहरमगरा तहसील मावली के आराजी संख्या 2192 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1 श्रीमती वगतीबाई के नाम पर अंकित हैं। उक्त आराजी के पूर्व खातेदार स्व. भेरा पिता कन्ना माली निवासी डबोक के नाम पर अंकित थी उनका स्वर्गवास होने के पश्चात् राजस्व अधिकारियों ने विपक्षी संख्या 1 श्रीमती वगतीबाई पिता भेरा माली, विपक्षी संख्या 3 उमाकान्त पिता मदन गोपाल के नाम दर्ज कर दी जिसे करने का राजस्व अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं था।
2. यह कि प्रार्थी स्व. भेरा जी का गोदीना पुत्र है और उक्त गोदनामें की लिखापढी दिनांक 23.12.1979 को विपक्षी संख्या 1 की माताजी स्वर्गीय हुडीबाई पत्नी भेरा जी माली ने समाज के मौतबीरो के समक्ष बहीखातें में गोदनामें की लिखापढी की और उक्त लिखापढी में प्रार्थी के प्राकृतिक पिता भूरा जी ने प्रार्थी को श्रीमती हुडीबाई के यहां गोद रखा और स्व. भेरा जी की पत्नी हुडीबाई ने समाज रिवाज के अनुसार मुझ प्रार्थी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:13:05 IST
Reason: SelfAttested

गोद लिया और जाति रितिरिवाज व सामाजिक परम्परा के अनुसार गोद का दस्तूर किया और उक्त गोदनामें की लिखापढी बही खाते में लिखी गई जिस पर विपक्षी संख्या 1 की माता हुडीबाई ने अंगुठा निशानी की व विपक्षी संख्या 1 के पति श्री लोगर जी ने अपने सहमति स्वरूप साख पर अपने अंगुठा निशानी की तथा समाज के पंचों में मौतबीरों के हस्ताक्षर व अंगुठा निशानी गोदनामें पर करवाई गई। स्व. भेरा जी के खातेदारी व कब्जे की कृषि भूमि जो राजस्व ग्राम डबोक तहसील मावली में भी है उक्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण ग्राम पंचायत डबोक द्वारा प्रार्थी के नाम पर गोदीना पुत्र होने से खोला गया और प्रार्थी के नाम पर उक्त आराजी अंकित हुई तथा ग्राम पंचायत के राशनकार्ड में भी भगवान पिता भेरा जी अंकित है तथा मतदाता सूची में भी प्रार्थी के पिता का नाम भगवान पिता भेरा जी दर्ज है तथा ग्राम पंचायत डबोक द्वारा प्रार्थी के नाम पर प्रमाण पत्र जारी किया गया कि प्रार्थी भेराजी का गोदीना पुत्र हैं। उक्त प्रमाण पत्र प्रार्थी को दिनांक 06.05.1995 को जारी किया गया।

3. यह कि कृषि भूमि डबोक जो स्व. भेरा जी के नाम पर दर्ज थी उनका स्वर्गवास होने के पश्चात् मुझ प्रार्थी के नाम पर अंकित हुई। उक्त नामान्तरकरण पर विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थी से मनमुटाव होने से उप जिलाधीश वल्लभनगर में उक्त नामान्तकरण की अपील की, उक्त अपील के दौरान जाति समाज के पंचो द्वारा व मौतबीरों की समझाईश पर विपक्षी संख्या 1 ने मुझ प्रार्थी के पक्ष में 100/– रूपये के स्टाम्प पर हक त्याग पत्र लिख दिया। उक्त आधार पर उप जिलाधीश वल्लभनगर ने उक्त अपील को खारिज किया व नामान्तरकरण ग्राम पंचायत डबोक के नामान्तरकरण आदेश का यथावत रखा। उक्त आदेश की उप जिलाधीश वल्लभनगर की अपील संभागीय आयुक्त उदयपुर में की। उक्त अपील का आदेश 28.11.2002 को हुआ जिसमें उप जिलाधीश वल्लभनगर के आदेश को यथावत् रखा तथा विपक्षी संख्या 1 की अपील को खारिज किया व संभागीय आयुक्त ने अपने आदेश में प्रार्थी को स्व. भेरा जी का गोदीना पुत्र माना व विपक्षी संख्या 1 का स्व. भेरा जी की समस्त कृषि भूमि में कोई भी हक व अधिकार नहीं माना। विपक्षी संख्या 1 श्रीमती वगतीबाई ने दिनांक 13.02.1999 को 100/– रूपये के स्टाम्प पर हक त्याग पत्र प्रार्थी के पक्ष में लिखा जिस पर अपने हस्ताक्षर किये तथा अपने साक्षीयों के हस्ताक्षर भी हक त्याग पत्र पर करवाये तथा प्रार्थी को स्व. भेरा जी का गोदीना पुत्र माना तथा प्रार्थी को अपना भाई माना तथा स्व. भेरा जी पिता काना जी माली निवासी डबोक की समस्त कृषि भूमि जो खातेदारी व कब्जे की है उक्त समस्त कृषि भूमि पर प्रार्थी के पक्ष में हक त्याग पत्र 100/– सौ रूपये के स्टाम्प पर लिख दिया तथा जो

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:13:05 IST
Reason: SelfAttested

पूर्व में प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 के मध्य जो वाद व्यय हुआ उसके बदले 23,000/– तेबीस हजार रूपये नकद प्राप्त कर लिये तथा विपक्षी संख्या 1 ने उक्त हक त्याग पत्र में स्व. भेरा जी के नाम पर जो भी कृषि भूमि है उक्त समस्त कृषि भूमि प्रार्थी के नाम पर दर्ज करवा देगी। अगर किसी कृषि भूमि में विपक्षी संख्या 1 का नाम दर्ज हो गया है वो भी प्रार्थी के पक्ष में हक त्याग पत्र कर दिया है तथा उक्त सभी कृषि भूमियों पर प्रार्थी का कब्जा है और वही काश्त कर रहा हैं।

4. यह कि प्रार्थी ने स्व. भेरा जी का स्वर्गवास होने पर उनका सामाजिक क्रियाकर्म हिन्दू रितिरिवाज के अनुसार उनका पुत्र होने से प्रार्थी ने किया व स्व. भेराजी का पगडी भी जाति रितिरिवाज के अनुसार प्रार्थी को बंधवाई और प्रार्थी की माता श्रीमती हुडीबाई का स्वर्गवास होने पर उनका क्रियाकर्म भी प्रार्थी ने पुत्र होने के नाते किया और उनकी पगडी भी जाति रितिरिवाज के अनुसार प्रार्थी को बंधवाई गई तथा श्रीमती हुडीबाई की सेवा सुश्रुषा भी प्रार्थी ने की। उक्त दोनो क्रियाकर्म में विपक्षी संख्या 1 के पति व स्वयं विपक्षीयां भी मौजूद थी। विपक्षी संख्या 1 ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर आराजी संख्या 2192 का नामान्तरकरण अपने नाम पर खुलवा लिया जिसे उसे खुलवाने का कोई भी अधिकार नही था क्योंकि विपक्षी संख्या 1 ने सभी अधिकार प्रार्थी के पक्ष में हक त्याग दिये थे मगर विपक्षी संख्या 1 के मन में दुर्भावना आने से उक्त कृषि भूमि अपने नाम पर अंकित करवाई जिसका उसे कोई भी हक व अधिकार नहीं था।

5. यह कि प्रार्थी का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि प्रार्थी उक्त आराजी पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा है जिसमें विपक्षी संख्या 1 का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं है लेकिन विपक्षी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित होने से प्रार्थी को नाजायज रूप से परेशान करने की नियत से उक्त कृषि भूमि को अन्य व्यक्ति को विक्रय करने पर आमादा है। इसलिए मैं प्रार्थी विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी हूं कि विपक्षी संख्या 1 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी को अन्य किसी व्यक्ति को रहन बैह बक्षीस नहीं करे, मुझ प्रार्थी को शांतिपूर्वक अपने कब्जे काश्त की भूमि का उपयोग उपभोग करने देवे। इसमें किसी प्रकार की बाधा न स्वयं उत्पन्न करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से उत्पन्न करावें। इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व जारी नहीं की गई तो प्रार्थी को भारी क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयो पैसों में किया जाना असंभव हैं। सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षी को किसी प्रकार की क्षति या नुकसान होने वाला नहीं हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:13:05 IST
Reason: SelfAttested

6. यह कि प्रार्थी को विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 26.06.2009 को उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी संख्या 2192 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा में प्रार्थी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। प्रार्थी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, विपक्षी संख्या 1 उक्त कृषि भूमि को किसी अन्य व्यक्ति के रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, ताफैसला वाद रेकार्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे। प्रार्थी के कब्जे में बाधा न स्वयं उत्पन्न करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से उत्पन्न करावें एवं विपक्षी संख्या 2 को पाबंद किया जावे कि इस भूमि के सम्बन्ध में विपक्षी संख्या 1, विपक्षी संख्या 3 कोई दस्तावेज पंजीयन हेतु पेश करे तो ताफैसला वाद पंजीयन नहीं करे और रेकार्ड व मौके की यथावत् स्थिति बनाये रखें।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि पूर्व में यह जमीन मुझ विपक्षीया वगतीबाई के पिता भेराजी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित थी और भेरा जी के स्वर्गवास के पश्चात् उनके कोई पुत्र सन्तान नहीं होने से उनकी एकमात्र वारिस मैं विपक्षीया वगतीबाई ही थी इसलिए उक्त जमीन मेरे नाम पर विरासत से अंकित हुई है जो सही दर्ज की गई है। प्रार्थी को कभी भी भेरा जी ने गोद नहीं रखा हैं। सारे कथन गलत अंकित किये है। न किसी प्रकार की कोई लिखापढी ही की है। न ही कोई गोदनामा रजिस्टर्ड कराया हैं। प्रार्थी ने गोद का कथन गलत किया है और वैसे भी गोद का बिन्दू तय करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को हैं। इसलिए भी प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य हैं। गोद के बारे में ग्राम पंचायत को प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं हैं। कानूनन ऐसा प्रमाण पत्र की कोई वैद्यता नहीं हैं। विवादग्रस्त नामान्तरकरण जिसका हवाला इस प्रार्थना पत्र में कर रखा है वह नामान्तरकरण राजस्व मण्डल अजमेर ने मुझ विपक्षीया की निगरानी पर खारिज हो चुका है और रेवेन्यु बोर्ड ने यह माना है कि गोद इत्यादि के प्रश्न को तय करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। प्रार्थी ने जानबुझकर रेवेन्यु बोर्ड के फैसले को छुपाया हैं। इस तरह प्रार्थी की बदयान्ती स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। इसलिए भी यह प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य हैं। कोई लिखापढी नहीं की गई है और जो लिखापढी पेश की है वह रजिस्टर्ड नहीं होकर अनरजिस्टर्ड है

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:13:05 IST
Reason: SelfAttested

जो शहादत में ग्राह्य नहीं हैं। विरासत से मुझ विपक्षीयां का नामान्तरकरण सहीं हुआ है। प्रार्थी को खारिज कराने का कोई अधिकार नहीं हैं।

8. यह कि कब्जा मुझ विपक्षीया का ही हैं। प्रार्थी का कभी भी उक्त वर्णित भूमि पर कब्जा नहीं रहा है। आज भी मुझ विपक्षीया का कब्जा है और मै विपक्षीयां ही उक्त भूमि का निरन्तर उपयोग उपभोग करती आ रही हूं। प्रार्थी का कोई प्राइमाफैसी केस नहीं है और न ही सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। मुझ विपक्षीया को मेरी खातेदारी की भूमि को अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग करने का पुरा हक व अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी को रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं हैं। इस प्रार्थना पत्र को सुनने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य हैं।
9. विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजी नम्बर 2192 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा मुझ विपक्षी ने दिनांक 30.06.2009 को 3,00,000/– तीन लाख रूपया में श्री उमाकान्त शर्मा पिता मदन गोपाल जी शर्मा निवासी बस स्टेण्ड नाथद्वारा जिला राजसमन्द को इस मुकदमें की जानकारी होने के पहले ही विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया है और वर्तमान में उक्त आराजी श्री उमाकान्त शर्मा के टाईटल की होकर उनके आधिपत्य की है ऐसी अवस्था में इस मामले में उमाकान्त शर्मा आवश्यक पक्षकार है उसको रेकार्ड पर लाये बिना यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र गोद के बिन्दू को लेकर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है जबकि यह सेटल सिद्वान्त है कि गोद का मामला राजस्व न्यायालय नहीं सुन सकती है। इस बिन्दू को सुनने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने भी विपक्षीया की निगरानी पर अपने फैसले में इस बात को माना हैं। इस तरह इस कानूनी बिन्दू पर यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होकर खारिज होने योग्य हैं। प्रार्थी ने मुझ विपक्षीया को जबरदस्ती तंग व परेशान करने की नियत से यह गलत प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। इसलिए प्रार्थी ने मुझ विपक्षीयां को विशेष हर्जाने के रूप में 5000/– पांच हजार रूपया दिलवाया जावें।
10. **विपक्षी संख्या 3 द्वारा जवाब मय काउन्टर प्रार्थना पत्र** पेश कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 वगतीबाई द्वारा उक्त कुलिया भूमि को दिनांक 30.06.2009 को पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये मुझ विपक्षी को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर रखा है जिस पर मैं विपक्षी वक्त खरीद से निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा हूं। विपक्षी संख्या 1 द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय आपमें प्रस्तुत करने से पूर्व ही मुझ विपक्षी को कृषि भूमि विक्रय की जा चुकी थी और विपक्षी संख्या 1

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:13:05 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा जो भूमि मुझ विपक्षी को विक्रय की गई है उसकी विपक्षी संख्या 1 खातेदार काश्तकार थी और उसे अपने खातेदारी की कृषि भूमि को अपनी ईच्छानुसार उपयोग उपभोग एवं हस्तान्तरण करने का पूर्ण हक व अधिकार प्राप्त था और इसी के तहत विपक्षी संख्या 1 ने अपने हक हिस्से को विक्रय किया है और विधिवत् पंजीकृत विक्रय विलेख मुझ विपक्षी के पक्ष में सक्षम अधिकारी के समक्ष पंजीयन कराया है और विक्रीत भूमि का कब्जा मुझ विपक्षी को सिपूर्द किया है जिस पर मैं विपक्षी निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा हूं जिसमें प्रार्थी या अन्य किसी का कोई हक अधिकार कब्जा कुछ भी नहीं हैं।

11. यह कि प्रार्थी का कोई प्राइमाफैसी केस नहीं है और न ही सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में हैं क्योंकि विपक्षी संख्या 1 उक्त भूमि की खातेदार थी जिससे उसने अपनी उक्त खातेदारी की जमीन को मुझ विपक्षी को विक्रय कर पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर रजिस्ट्री कराई है जिस पर मैं विपक्षी वक्त खरीद से निरन्तर निर्बाध से कब्जा होकर काश्त करता आ रहा हूं जिसमें प्रार्थी या अन्य किसी का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए सुविधा संतुलन एवं अशोधनीय क्षति के बिन्दू भी मुझ विपक्षी के पक्ष में है क्योंकि मैं विपक्षी सद्भावी क्रेता (BONAFIDE PURCHASER) हूं। इसलिए प्रार्थी मेरे विरूद्व माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नहीं है बल्कि प्रार्थी मुझ विपक्षी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर व्यवधान पैदा कर रहा है इसलिए मैं विपक्षी प्रार्थी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाबंद कराने का अधिकारी हूं इसलिए काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जा रहा हैं। मुझ विपक्षी के विरूद्व कोई प्रार्थना पत्र कारण उत्पन्न नहीं हुआ हैं। प्रार्थी मुझ विपक्षी के विरूद्व माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की दाद प्राप्ति की अधिकारी नहीं हैं।

12. विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी माननीय न्यायालय में दाद प्राप्त करने हेतु स्वच्छ हाथों से नहीं आया है क्योंकि उपरोक्त विक्रय पत्र जो विपक्षी संख्या 1 द्वारा मुझ विपक्षी के पक्ष में दिनांक 30.06.2009 को निष्पादित किया गया है उक्त निष्पादन माननीय न्यायालय आपमें हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने से पूर्व का है। अतः प्रार्थी को उपरोक्त विक्रय पत्र के निष्पादन की पूर्व से ही जानकारी थी किन्तु प्रार्थी ने जानबुझ कर माननीय न्यायालय आपको वास्तविक तथ्य से अनभिज्ञ रखकर नाजायज लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से तथ्यों को छुपाकर उक्त मिथ्या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः वह किसी प्रकार की दाद प्राप्ति का अधिकारी नहीं हैं। कानूनन जो विक्रय पत्र विपक्षी संख्या 1 द्वारा मुझ विपक्षी के पक्ष में निष्पादित किया गया है उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र को जब

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:13:05 IST
Reason: SelfAttested

तक प्रार्थी सक्षम सिविल न्यायालय से केन्सल नहीं करा दे तब तक वह किसी प्रकार की दाद प्राप्त करने की अधिकारी नहीं हैं। अतः श्रीमान् न्यायालय से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत एवं सारहीन तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

13. **काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया** कि मौजा नाहरमगरा तहसील मावली में आराजी नम्बर 2192 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है जिसकी खातेदार वगतीबाई पिता भेरा माली ने उक्त कुलिया जमीन को मुझ विपक्षी को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 30.06.2009 को विक्रय कर कब्जा मुझ विपक्षी को सिपूर्द कर दिया तब से उक्त क्रयसुदा कृषि भूमि आराजी पर मैं विपक्षी काबिज होकर शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग कर रहा हूं इसलिए मैं विपक्षी उक्त विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज उक्त भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर अपने नाम पर खातेदारी हक की घोषणा करा राजस्व रेकार्ड में अंकन कराने का अधिकारी हूं जिसके लिए माननीय न्यायालय में काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर दिया हैं। काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी को विपक्षी संख्या 1 ने मुझ विपक्षी को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया था तब से मैं विपक्षी उक्त अपनी खरीदसुदा कृषि भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा हूं लेकिन प्रार्थी मुझ विपक्षी को मेरी खरीदसुदा कृषि भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग नहीं करने दे रहा है और मुझ विपक्षी को जबरन बेदखल करने की धमकीयां दे रहा है जबकि प्रार्थी को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए प्रार्थी के विरूद्व मैं विपक्षी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं।

14. यह कि मुझ विपक्षी का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है क्योंकि काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी की विपक्षी संख्या 1 खातेदार काश्तकार थी और उसने अपने अधिकारों का प्रयोग कर मुझ विपक्षी को अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा विक्रय कर कब्जा सिपूर्द किया है और मैं विपक्षी अपनी खरीदसुदा कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार हूं और मैं विपक्षी अपनी क्रयसुदा भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग लगातार निरन्तर करता आ रहा हूं जिसमें प्रार्थी का कोई हक व अधिकार नहीं है। फिर भी प्रार्थी नाजायज रूप से मुझ विपक्षी को तंग परेशान कर मेरी खरीदसुदा भूमि पर कब्जा कर मुझ विपक्षी को बेदखल करने पर आमादा हो रहा हैं जबकि प्रार्थी को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। इसलिए मैं विपक्षी, प्रार्थी के विरूद्व इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी हूं कि प्रार्थी काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित मुझ विपक्षी की खरीदसुदा भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, न कब्जा करे, न निर्माण करे, मुझ विपक्षी को मेरी खरीदसुदा भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, मुझ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:13:05 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट आदि के मार्फत ही करावें। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ विपक्षी को भारी क्षति होगी और उसका मूल्यांकन रूपयो पैसों में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ विपक्षी के पक्ष में है क्योंकि मैं विपक्षी सद्भावी क्रेता हूं।

15. यह कि मुझ विपक्षी को प्रार्थी के विरूद्व काउन्टर क्लेम कारण दिनांक 21.03.2017 को उत्पन्न हुआ जब मुझ विपक्षी की खरीदसुदा कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर बेदखल करने की धमकी दी तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 3 का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी के पक्ष में एवं प्रार्थी के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थी काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित मुझ विपक्षी संख्या 3 की खरीदसुदा भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, न कब्जा करे, न मुझ विपक्षी को मेरी खरीदसुदा कृषि भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, किसी प्रकार का निर्माण नहीं करे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न ही उक्त कार्य अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से करावें।

16. **प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 3 के काउन्टर प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन** किया कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 3 के पक्ष में जो कथित विक्रय पत्र निष्पादित किया गया वो मुझ प्रार्थी के पक्ष में शून्य है जिसे किसी भी न्यायालय से केन्सल या निरस्त करवाने की आवश्यकता नहीं है एवं मैं प्रार्थी भेरा जी का गोदीना पुत्र हुं एवं वादग्रस्त सम्पति में मुझ प्रार्थी का हक निहित है जिसे विपक्षी संख्या 1 को विक्रय करने का कोई हक व अधिकार नहीं है जिससे वादग्रस्त सम्पति का जो विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है वो मुझ प्रार्थी के हक में अपने आप ही वॉइड होकर शून्य हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र किसी भी प्रकार से खारिज होने योग्य नहीं है बल्कि विपक्षी संख्या 3 का काउन्टर क्लेम चलने योग्य नहीं होने से खारिज योग्य हैं।

17. यह कि वादग्रस्त आराजीयात पर केवल वगती बाई का कोई हक व हिस्सा नहीं है जिससे उसके द्वारा निष्पादित किया गया विक्रय पत्र मुझ प्रार्थी के पक्ष में शून्य होकर वॉइड है एवं वादग्रस्त सम्पति प्रार्थी को गोद के जरिये प्राप्त हुई है जिससे वादग्रस्त आराजीयात पर आज भी मुझ प्रार्थी का कब्जा होकर उपयोग उपभोग में है उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर कभी भी विपक्षी संख्या 1 या 3 का कब्जा नहीं रहा है और न ही विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 3 को कब्जा सिपूर्द ही किया है एवं चूंकि वादग्रस्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:13:05 IST
Reason: SelfAttested

आराजीयात का जो विक्रय पत्र निष्पादित किया गया जो वॉइड होने से विपक्षी संख्या 3 उक्त आराजीयात की खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं हैं। विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 3 को नाजायज लाभ प्राप्त करने के लिए उक्त नुमाईशी विक्रय पत्र निष्पादित करवा दिया है जबकि मौके पर मुझ प्रार्थी का कब्जा है एवं विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 3 का स्वयं का उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर कभी कब्जा नहीं रहा है तो कब्जा सिपूर्द करने की बात मूल रूप से ही गलत लिखी है एवं पूर्व से ही मुझ प्रार्थी का कब्जा होकर उपयोग उपभोग में है तो जबरन कब्जे से बेदखल करने की बात गलत एवं मनगढन्त लिखी हैं।

18. यह कि विपक्षी संख्या 3 मुझ प्रार्थी के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा कर मुझ प्रार्थी को अपने हिस्से की कृषि भूमि से बेदखल कर कब्जा प्राप्त करना चाहता है जिसका उसे कोई हक व अधिकार नहीं है एवं न ही विपक्षी संख्या 3 मुझ प्रार्थी के विरूद्व किसी प्रकार की कोई दाद प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है एवं न ही किसी प्रकार की कोई स्थाई निषेधाज्ञा या घोषणा की डिक्री ही प्राप्त करने का अधिकारी है। काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक को कभी भी प्रार्थी ने धमकी नहीं दी बल्कि विपक्षी प्रार्थी को कब्जे से बेदखल करना चाहता हैं। अन्त में निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 3 का काउन्टर प्रार्थना पत्र पूर्ण रूप से अस्वीकार होकर खारिज योग्य होने से खारिज फरमाये जाने का आदेश प्रदान कराये जाने की कृपा करावें। विपक्षी संख्या 3 मुझ प्रार्थी के विरूद्व किसी भी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी नहीं हैं।

19. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

20. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार है :–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हैं। प्रार्थी उक्त भूमि के वर्तमान में खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:13:05 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थी का कथन है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थी के गोदीना पिता भेरा के नाम दर्ज थी जो गोदपुत्र की हैसियत से प्रार्थी के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में विपक्षी संख्या 1 के पिता भेरा पिता काना के नाम दर्ज थी जो भेरा पिता काना की मृत्यु के पश्चात् विरासत के आधार पर विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई। प्रार्थी द्वारा स्वयं को भेरा का गोदीना पुत्र होना बताकर अपने हिस्से की घोषणा चाही हैं। प्रार्थी द्वारा गोदीना पुत्र होने की हैसियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर गोदीना पुत्र की हैसियत से पैतृक सम्पति में घोषणा का वाद होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी की गोदपुत्र की हैसियत से पैतृक सम्पति होने से यदि विपक्षीगण को पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षीगण अपने नाम दर्ज भूमि को खुर्द बुर्द कर देते है तो इससे प्रार्थी को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

3. ***अपूरणीय क्षति का बिन्दू–*** प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हैं। यदि विपक्षीगण को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि को रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

21. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौजा धुणीमाता पटवार हल्का नाहरमगरा तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2063–66 के खाता संख्या 1013 पर दर्ज आराजी नम्बर 2192 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में विपक्षी संख्या 1 के पिता भेरा के नाम पर दर्ज थी जो भेरा की मृत्यु के बाद विरासत से विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज हुई। प्रार्थी स्वयं

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:13:05 IST
Reason: SelfAttested

को भेरा का गोदीना पुत्र होना बता रहा है उसी के आधार पर अपने हिस्से की घोषणा चाही गई हैं। विपक्षी संख्या 3 काउन्टर प्रार्थना पत्र के माध्यम से वादग्रस्त भूमि को विपक्षी संख्या 1 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.06.2009 से क्रय करना बताकर प्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवाना चाहता हैं।

प्रकरण में मूल बिन्दू प्रार्थी के गोद जाने के आधार पर घोषणा सम्बन्धी हैं। यदि गोद जाने का तथ्य साबित होता है तो प्रार्थी वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्से का अधिकारी है इसलिए यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है तो इससे प्रार्थी के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा प्रार्थी को अपने हिस्से से वंचित होना पडेगा परन्तु गोद के तथ्य को इस प्रार्थना पत्र में तय नहीं किया जा सकता हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। चूंकि प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं एवं प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 3 के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित किये जाने से यदि उक्त विक्रय का नामान्तरकरण पारित हो जाता है तो इससे प्रकरण में दोहरी स्थिति उत्पन्न होगी। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी का गोदपुत्र की हैसियत से हक निहित होना जाहिर होता है।

प्रथम दृष्टया प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 3 के पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 30.06.2009 को निष्पादित करवाया गया था परन्तु विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व 29.06.2009 से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी थी इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि उक्त विक्रय पत्र दौराने वाद निष्पादित किया गया हैं। इसमें कानून की स्थिति स्पष्ट है कि क्रेता सावधान का सिद्वान्त यह सिद्वान्त मूल रूप से कहता है कि ''क्रेता सावधान रहे''। इसका अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति कोई वस्तु खरीदता है तो उसे स्वयं उसकी जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

भूमि विपक्षीगण के नाम दर्ज होने से यदि विपक्षीगण को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द, हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रार्थी के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होंगी। प्रकरण में दिनांक 29.06.2009 से विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। अतः ऐसी स्थिति में विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:13:05 IST
Reason: SelfAttested

शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये गये हैं। अतः उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य एवं विपक्षी संख्या 3 का काउन्टर प्रार्थना पत्र खारिज योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप विपक्षी संख्या 3 का काउन्टर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण तक मौजा धुणीमाता पटवार हल्का नाहरमगरा तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2063—66 के खाता संख्या 1013 पर दर्ज आराजी नम्बर 2192 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा भूमि के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:13:05 IST
Reason: SelfAttested